महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 03–06–2015 का कार्यवृत्त

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 03–06–2015 को अपराह्न 03:30 बजे माननीय कुलपति जी अध्यक्षता में पंत प्रशासनिक भवन स्थित डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति कक्ष में सम्पन्न हुई। जिसमें अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

1.	डॉ0 पृथ्वीश नाग, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो0 एस0एन0चतुर्वेदी, संकायाध्यक्ष, समाजविज्ञान संकाय	–	सदस्य
3.	प्रो0 राम प्रकाश द्विवेदी, संकायाध्यक्ष, समाजकार्य संकाय	–	सदस्य
4.	प्रो0 के0एस0 जायसवाल, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबन्धशास्त्र संकाय	–	सदस्य
5.	प्रो0 सुरेन्द्र बहादुर सिंह, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय	–	सदस्य
6.	प्रो0 सत्या सिंह, संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी संकाय	–	सदस्य
7.	डॉ0 देवेन्द्र कुमार उपाध्याय, संकायाध्यक्ष, कृषि विज्ञान संकाय	–	सदस्य
8.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा, संकायाध्यक्ष, चिकित्सा विज्ञान संकाय	–	सदस्य
9.	प्रो0 आर0 पी0 सिंह, संकायाध्यक्ष, छात्रकल्याण संकाय	–	सदस्य
10.	डॉ0 अशोक कुमार पाण्डेय, प्राचार्य, श्री सुदृष्टि बाबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया	–	सदस्य
11.	डॉ0 अरविन्द कुमार राम, प्राचार्य, डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय, भदोही	–	सदस्य
12.	डॉ0 श्रीरंग नाथ मिश्र, महामंत्री–सम्बद्ध महाविद्यालय, अध्यापक संघ	–	विशेष आमंत्रित
13.	श्री ओम प्रकाश, कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक	–	सदस्य–सचिव

विश्वविद्यालय के अधिकारीगण :–

1. श्री एस0एन0 पाण्डेय, उपकुलसचिव, परीक्षा सामान्य

बैठक में अधोलिखित निर्णय लिए गए :–

कार्य सूची–01	परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 17–01–2015 की कार्यवृत्त की पुष्टि पर विचार।
निर्णय :	**परीक्षा समिति द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।**
कार्य सूची–02	परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 03–03–2015 की कार्यवृत्त की पुष्टि पर विचार।
निर्णय :	**परीक्षा समिति द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।**
कार्य सूची–03	परीक्षा समिति की आपात बैठक दिनांक 17–04–2015 की कार्यवृत्त की पुष्टि पर विचार।
निर्णय :	**परीक्षा समिति द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।**
कार्य सूची–04	वार्षिक परीक्षा–2015 में दिनांक 27–04–2015 को बी0ए0/बी0एस0सी0 प्रथम खण्ड गणित प्रश्न पत्र कोड संख्या–3137 एवं बी0ए0/बी0एस0सी0 द्वितीय खण्ड गणित प्रश्न पत्र कोड संख्या–3140 के आउट (लीक) होने सम्बन्धी विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही का अनुमोदन।

निर्णय :	इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा की गई निम्न कार्यवाही से परीक्षा नियंत्रक द्वारा समिति को अवगत कराया गया – I. प्रश्न पत्र आउट होने की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय स्तर पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराई गई। II. उक्त प्रकरण की जाँच हेतु उच्च स्तरीय तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। III. सम्बन्धित प्रश्न पत्रों की परीक्षा निरस्त कर अगली तिथि की घोषणा कर पुनः परीक्षा सम्पन्न कराई गई। विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट होते हुए समिति ने उक्त कार्यवाही का अनुमोदन किया।
कार्य सूची–05	श्रीराम किशुन कालेज, गोकुल, करसड़ा, वाराणसी के एल0एल0बी0 सेमेस्टर परीक्षा में सामूहिक नकल कराये जाने के सन्दर्भ में उड़ाका दल की दिनांक 16–01–2015 तथा 21–01–2015 की रिपोर्ट तथा उस पर महाविद्यालय के प्रबन्धक से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचार।
निर्णय :	समिति के समक्ष उड़ाका दल से प्राप्त आख्या एवं श्री राम किशुन कालेज, वाराणसी के प्रबन्धक एवं प्राचार्य से प्राप्त स्पष्टीकरण परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसपर विचारोपरान्त समिति सर्वसम्मति से सामूहिक नकल का दोषी मानते हुए श्री राम किशुन कालेज, वाराणसी पर रूपये तीन लाख का आर्थिक दण्ड तथा आगामी 03 वर्ष तक परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही दिनांक 16–01–2015 एवं 21–01–2015 को इस परीक्षा केन्द्र पर प्रथम पाली में एल0एल0बी0 प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों का सम्पूर्ण परीक्षाफल निरस्त करने का भी निर्णय लिया गया।
कार्य सूची–06	वार्षिक परीक्षा–2015 में सामूहिक नकल/समूह में नकल के सम्बन्ध में उड़ाका दलों से प्राप्त आख्या पर विचार।
निर्णय :	समिति के समक्ष परीक्षा नियंत्रक द्वारा उड़का दल समन्वयक/उप समिति की आख्या प्रस्तुत किया गया। जिस पर समिति ने सम्यक विचारोपरान्त अधोलिखित परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय को सामूहिक नकल का दोषी माना :– i. श्यामतारा महिला पी0जी0 कालेज, कोरसड़ा, मिर्जामुराद, वाराणसी (146) ii. गायत्री महिला महाविद्यालय, हिंगुतर, चन्दौली (222) iii. स्वामी शरन महाविद्यालय, चन्दौली (224) iv. शहीद कैप्टन विजय प्रताप सिंह महाविद्यालय, चन्दौली (226) v. श्रीमती जगवंती देवी हीरानंद महाविद्यालय, पहाड़पुर, भदोही (310) vi. महाराज जोधराज सिंह महाविद्यालय, सरायटोला, अमौली, भदोही (317) vii. उमेदा देवी महिला महाविद्यालय, चकनंदा, मिर्जापुर (444) viii. चौधरी गोविन्द सिंह महाविद्यालय, सोनभद्र (522) ix. श्री बजरंग पी0जी0 कालेज, दादर आश्रम, सिकन्दरपुर, बलिया (607) x. बिन्देश्वरी महाविद्यालय, मलभ, हरसेनपुर, बलिया (649) xi. डॉ0 राम मनोहर लोहिया सूबेदार महाविद्यालय, हबसापुर, बलिया (652) xii. स्व0 बलराम सिंह स्मारक महाविद्यालय, दिधारगढ़, बलिया (653) xiii. महात्मा रतन गुलजार महाविद्यालय, सरायभारती, कोपा सिलहट, बलिया (654)

	xiv. इस्तेयाक अहमद मेमोरियल महाविद्यालय, पिपरौली, बड़ागांव, बलिया (667) xv. नीलम देवी महाविद्यालय, धतुरीटोला, बैरिया, बलिया (671) xvi. मां शान्ति देवी महाविद्यालय, हल्दीरामपुर, बेल्थरा रोड, बलिया (672) xvii. रामध्यान महाविद्यालय, जोगापुर, बुढऊँ, बलिया (675) xviii. बाबा काशीनाथ महाविद्यालय, सवंरूपुर, चिलकहर, बलिया (681) xix. श्री हरदेव कालेज, नेवादा, बरवा, रत्तीपट्टी, बलिया (682) xx. एम0एन0बी0 मेमोरियल महिला महाविद्यालय, कोटवां, नारायनपुर, बलिया (684) xxi. ललित कृष्ण वोमेन इन्स्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, बलिया (690) xxii. पं0 श्रीनिवास महाविद्यालय, पाण्डेयपुर, नगरा, बलिया (691) xxiii. कन्हैया स्मारक महाविद्यालय, कुशहां ब्राह्मण, बलिया (693) उक्त के सम्बन्ध में विचारोपरान्त समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया :— 1. सामूहिक नकल में दोषी पाये गये परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय पर रूपये तीन लाख का अर्थदण्ड लगाया जाता है। 2. सामूहिक नकल में दोषी पाये गये परीक्षा केन्द्रों को आगामी तीन वर्ष तक परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय। 3. सामूहिक नकल में दोषी महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र पर सम्बन्धित तिथि/पाली में परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों का सम्पूर्ण परीक्षाफल निरस्त कर दिया जाय। 4. सामूहिक नकल में दोषी महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्रों द्वारा यदि अर्थदण्ड तीन माह के अन्दर जमा नहीं किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। 5. उड़का दल एवं केन्द्राध्यक्ष द्वारा अनुचित साधन प्रयोग में पकड़े गए छात्रों का परीक्षाफल निरस्त कर दिया जाय। 6. उड़ाका दल के सदस्यों द्वारा जिन महाविद्यालयों की चहारदीवारी न होने अथवा अधुरा बना होने के सम्बन्ध में आख्या दी गई है, उस पर जाँच कराकर उचित कार्यवाही करने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति ने परीक्षा की सुचिता बनाये रखने के लिए उप समिति एवं उड़ाका दल के सदस्यों द्वारा किए गए प्रयास की भुरि—भुरि प्रशंसा करते हुए सर्वसम्मति से धन्यवाद ज्ञापन किया गया। (ख). सामूहिक नकल के विचार—विमर्श के दौरान ही परीक्षा नियंत्रक द्वारा मूल्यांकन केन्द्रों से प्राप्त परीक्षकों की उत्तर पुस्तिकाओं में नकल की पुष्टि (मॉस कापी) के सम्बन्ध में प्राप्त आख्या प्रस्तुत की गई जिस पर विचार कर समिति ने केशव प्रसाद महाविद्यालय, बेल्थरा रोड, बलिया में बी0एस—सी0 प्रथम खण्ड जन्तु विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र (कोड संख्या—3203) एवं स्व0 बलराम सिंह स्मारक महाविद्यालय, दिधारगढ़, बलिया में परीक्षा दे रहें बी0ए0 द्वितीय खण्ड समाजकार्य द्वितीय प्रश्न पत्र (कोड संख्या—3122) तथा बाबा रामदल सूरजदेव महाविद्यालय, बलिया (केन्द्र कोड—668) पर बी0 एस—सी0 द्वितीय खण्ड—गणित तृतीय प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं में मॉस कापी कराये जाने का दोषी मानते हुए महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र पर रूपये तीन लाख का अर्थदण्ड लगाने एवं महाविद्यालय को तीन वर्ष के लिए परीक्षा केन्द्र बनाये जाने से वंचित करने तथा सम्बन्धित छात्रों का इस सत्र का सम्पूर्ण परीक्षाफल निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

	(ग). समिति के समक्ष प्रस्तुत मूल्यांकन केन्द्रों से अनेक उत्तर पुस्तिकाओं के सम्बन्ध में समन्वयक एवं परीक्षकों की शिकायत जैसे–दो उत्तर पुस्तिकाओं पर समान अनुक्रमांक का होना, उत्तर पुस्तिकाओं के मुख्य पृष्ठ पर कक्ष पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर न होना आदि प्राप्त शिकायतों पर विधिवत् विचारोपरान्त समिति ने यह निर्णय लिया कि उक्त उत्तर पुस्तिकाओं के सम्बन्ध में केन्द्राध्यक्षों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।
कार्य सूची–07	प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के दृष्टि से जिलावार आवश्यकतानुसार महाविद्यालयों की संख्या के आधार पर नोडल/कलेक्शन सेण्टर बनाए जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण पर विचार।
निर्णय :	आगामी समस्त परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के वितरण के लिए भौगोलिक आवश्यकता के अनुसार राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों को नोडल/कलेक्शन सेण्टर बनाये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही नोडल/कलेक्शन सेण्टर बनाये जाने हेतु अधोलिखित नियमावली का निरूपण किया गया :– 1. विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में भौगोलिक दृष्टिकोण के आलोक में आवश्यकतानुसार राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों को नोडल/ कलेक्शन सेण्टर बनाया जायेगा। 2. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य नोडल अधिकारी होंगे जो पूर्ण गोपनीयता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगे। इन्हें नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक देय होगा। 3. नोडल केन्द्र पर 01 उप नोडल अधिकारी, 02 तृतीय श्रेणी कर्मचारी एवं 04 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नोडल अधिकारी रख सकेंगे जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक देय होगा। 4. विश्वविद्यालय द्वारा नोडल सेण्टर को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा। 5. नोडल अधिकारी को विश्वविद्यालय द्वारा उनके परिक्षेत्र के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों की सूची उपलब्ध करा दी जायेगी। इन्ही परीक्षा केन्द्रों को नोडल अधिकारी द्वारा समय सारिणी के अनुसार परीक्षा तिथि को प्रातः 07:00 बजे से 08:00 बजे के मध्य गोपनीय सामग्री उपलब्ध कराया जायेगा। 6. नोडल अधिकारी द्वारा परीक्षा समाप्ति के पश्चात उसी दिन सम्बन्धित महाविद्यालयों से अनिवार्य रूप से उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर ली जायेगी। 7. परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य (केन्द्राध्यक्ष) अपने वाहन से प्रतिदिन उक्त निर्धारित समय में अपने नोडल सेण्टर से प्रश्न पत्र ले जायेंगे तथा परीक्षा समाप्ति के पश्चात दोनों पालियों की उत्तर पुस्तिका उसी दिन नोडल/कलेक्शन सेण्टर पर प्रतिदिन अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। 8. वाहन हेतु आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अग्रिम देय होगा।
कार्य सूची–08	परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 15–09–2014 के बिन्दु संख्या–01(ख) में निर्धारित केन्द्र निर्धारण नियमावली में अधोलिखित बिन्दुओं को सम्मिलित किए जाने पर विचार। I. सह–शिक्षा (Co-Education) के महाविद्यालय का परीक्षा केन्द्र पूर्ण रूप से परिवर्तित किए जाएंगे। II. महिला महाविद्यालय को स्वकेन्द्र की सुविधा प्रदान किए जाएंगे। III. 100 से कम छात्र संख्या के महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाएगा।

निर्णय :	**समिति ने निम्नलिखित संशोधन के साथ अधोलिखित बिन्दुओं को केन्द्र निर्धारण नियमावली में सम्मिलित करने तथा नियमावली को वेबसाइट पर अपलोड कर दिये जाने का निर्णय लिया।** **I. सह–शिक्षा (Co-Education) के महाविद्यालय का परीक्षा केन्द्र पूर्ण रूप से परिवर्तित किए जाएंगे।** **II. 200 से कम संख्या के सह–शिक्षा एवं महिला महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाएगा।** **III. महिला महाविद्यालय को भौगोलिक दृष्टिकोण से आवश्यकतानुसार स्वकेन्द्र की सुविधा प्रदान किए जाने पर विचार किया जा सकता है।**
कार्य सूची–09	वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा प्रथम पाली में प्रातः 09:00 बजे से 12:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली में अपराह्न 02:00 बजे से 05:00 बजे तक कराये जाने पर विचार।
निर्णय :	**परीक्षा समय में परिवर्तन करने हेतु समिति ने अपनी स्वीकृति प्रदान किया।**
कार्य सूची–10	स्नातक स्तर पर राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण अध्ययन प्रश्न पत्र की परीक्षा में 03 घण्टे से घटाकर 02 घण्टे का समय प्रदान किए जाने पर विचार।
निर्णय :	**समिति ने स्नातक स्तर पर राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण अध्ययन प्रश्न पत्र की परीक्षा में 03 घण्टे से घटाकर 02 घण्टे का समय किए जाने पर अपनी स्वीकृति प्रदान किया।**
कार्य सूची–11	विभिन्न विभागों/विषयों में शोध मौखिकी सम्पन्न शोधार्थियों को पी0एच0डी0 उपाधि प्रदान करने पर विचार।
निर्णय :	**अधोलिखित शोधार्थियों को पी–एच0डी0 उपाधि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई :–**

विषय :– **हिन्दी**

क्र. सं.	**छात्र/छात्रा का नाम**	**शोध निर्देशक का नाम**	**शोध शीर्षक**	**शोध मौखिकी की तिथि**
1.	सुश्री श्वेता द्विवेदी SHWETA DWIVEDI	प्रो0 श्रद्धानन्द	भीष्म साहनी की कहानियों में सामाजिक चेतना	15–04–2015
2.	सुश्री साधना भारती SADHANA BHARATI	प्रो0 सुरेन्द्र प्रताप	हिन्दी उपन्यासों में मध्यवर्गीय जीवन (2000–2007)	27–05–2015
3.	सुश्री ललिता सिंह LALITA SINGH	प्रो0 श्रद्धानन्द	समकालीन हिन्दी कविता और अशोक वाजपेयी की काव्य सृष्टि	27–05–2015
4.	सुश्री रेनू सिंह RENU SINGH	प्रो0 श्रद्धानन्द	हिन्दी की दलित कहानियों में दलित चेतना	27–05–2015

विषय :– **इतिहास**

क्र. सं.	**छात्र/छात्रा का नाम**	**शोध निर्देशक का नाम**	**शोध शीर्षक**	**शोध मौखिकी की तिथि**
1.	श्री रंजेश कुमार ठाकुर RANJESH KUMAR THAKUR	प्रो0 राधवेन्द्र पान्थरी	वैदिक राजतंत्र	30–03–2015
2.	सुश्री रोली सिंह ROLI SINGH	प्रो0 योगेन्द्र सिंह	स्मृतियों में नारी विमर्श	27–04–2015
3.	सुश्री शालिनी नाग SHALINI NAG	प्रो0 राधवेन्द्र पान्थरी	प्रारम्भिक पुराणों में आर्थिक जीवन	22–04–2015

4.	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह JEETENDRA KUMAR SINGH	प्रो0 राधवेन्द्र पान्थरी	प्राचीन भारतीय अभिलेखों में राज्य व प्रशासन (मौर्योत्तर काल से गुप्त काल तक)	13–04–2015

विषय :– अंग्रेजी

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	सुश्री संध्या सिंह SANDHYA SINGH	प्रो0 रणधीर प्रताप सिंह	Subversion of Power in the Novels of Githa Hariharan	21–03–2015

विषय :– समाजशास्त्र

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	सुश्री मृणालिनी अम्बेश MRINALINI AMBESH	प्रो0 धर्मनाथ सिंह	ग्रामीण नेतृत्व के नवीन आयामः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन	10–04–2015
2.	सुश्री सुनीता कुमारी SUNITA KUMARI	डॉ0 ब्रजेश कुमार सिंह	महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका : (गाजीपुर शहर में कार्यरत महिलाओं पर आधारित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन	30–04–2015
3.	सुश्री रमा श्रीवास्तव RAMA SRIVASTAV	डॉ0 पुरूषोत्तम पाण्डेय	ग्रामीण परिवारों में बालिकाओं के साथ लैगिक भेदभाव	01–05–2015
4.	सुश्री प्रियंका सिंह PRIYANKA SINGH	प्रो0 सुरेन्द्र सिंह/ प्रो0 धर्मनाथ सिंह	सामान्य एवं दलित छात्रों की सामाजिक प्रस्थिति : एक तुलनात्मक अध्ययन	11–05–2015

विषय :– अर्थशास्त्र

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	श्री प्रमोद कुमार PRAMOD KUMAR	डॉ0 राजीव कुमार	भारत के ग्रामीण विकास में सूचना–प्रौद्योगिकी का योगदान (गाजीपुर जिले के विशेष सन्दर्भ में)	28–03–2015
2.	सुश्री प्रियंका PRIYANKA	प्रो0 मधुसूदन मिश्र	असंगठित क्षेत्र के श्रमिक एवं उनकी सामाजिक सुरक्षा – 1991 के पश्चात (वाराणसी जनपद के विशेष सन्दर्भ में)	25–04–2015

विषय :– मनोविज्ञान

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	सुश्री कौमुदी त्रिपाठी KAUMUDI TRIPATHI	डॉ0 राजेन्द्र सिंह	Impact of Child Rearing Practices on Social and Emotional Intelligence of Adolescents	13–05–2015

विषय :– वाणिज्य

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	श्री जयशंकर प्रसाद सिंह JAY SHANKAR PRASAD SINGH	प्रो0माता बदल शुक्ल	University Budgeting System in India (A Case Study of U.P. State Universities	12–05–2015

2.	श्री संजय कुमार राम SANJAY KUMAR RAM	प्रो0 अशोक कुमार मिश्र	Human Resource Management In G.I.C. (A Case Study of National Insurance Co. Ltd.)	23–05–2015

विषय :– प्रबन्धशास्त्र अध्ययन संस्थान

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	श्री प्रवीण कुमार सिंह PRAVEEN KUMAR SINGH	प्रो0 एम0बी0शुक्ला	Management Practices in Clusters of Small Scale Industries in India (A Case Study of Varanasi District)	02–05–2015

विषय :– शिक्षाशास्त्र

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	सुश्री चित्रा उपाध्याय CHITRA UPADHYAY	प्रो0 कल्पलता पाण्डेय	Analysis of The Text Books Prescribed by Different Boards in Relation to the Inclusion of Fundamental Duties	21–03–2015

विषय :– समाजकार्य

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	श्री शरद कुमार राय SHARAD KUMAR RAI	डॉ0 संजय	युवकों के लिंग भेद आधारित अभिवृत्तियों में परिवर्तन हेतु समाजकार्य हस्तक्षेप	20–04–2015
2.	श्री प्रदीप कुमार वर्मा PRADEEP KUMAR VARMA	डॉ0 शैला परवीन	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों का मूल्यांकन	24–03–2015
3.	सुश्री रेनू सिंह RENU SINGH	डॉ0 संजय	भारतीय परिवारों में लिंग भेद आधारित समाजीकरण का अध्ययन	24–04–2015

विषय :– शारीरिक शिक्षा

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	सुश्री तृप्ति सिंह TRIPTI SINGH	डॉ0 सुशील कुमार गौतम	प्राचीन भारतीय समाज की प्रचलित क्रीड़ाओं का आधुनिक स्वरूप : एक अध्ययन	16–04–2015

कार्य सूची–12	सुश्री पूजा सिंह, बी0ए0 द्वितीय खण्ड राजकीय महिला महाविद्यालय, रावर्ट्सगंज, सोनभद्र का परीक्षाफल घोषित करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार। (अग्रेतर उल्लेखनीय है कि सुश्री पूजा सिंह बी0ए0 प्रथम खण्ड वर्ष–2012 की बैक परीक्षा में अस्वस्थ होने के कारण सम्मिलित नहीं हो सकी। परन्तु वर्ष–2013 में बी0ए0 द्वितीय खण्ड की परीक्षा में सम्मिलित हो गई। बी0ए0 प्रथम खण्ड अनुत्तीर्ण होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा इनके बी0ए0 द्वितीय खण्ड का परीक्षाफल रोक दिया गया। जिसके पश्चात सुश्री पूजा सिंह बिना किसी सक्षम आदेश के पुनः बी0ए0 प्रथम खण्ड की परीक्षा वर्ष–2014 में सम्मिलित हो गई। अब छात्रा द्वारा बी0ए0 द्वितीय खण्ड की परीक्षाफल घोषित करने एवं बी0ए0 तृतीय खण्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति मांगी जा रही है।)

निर्णय :	**समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सुश्री पूजा सिंह के उपर रूपये पाँच सौ का अर्थदण्ड लगाते हुए बी0ए0 प्रथम एवं द्वितीय खण्ड का परीक्षाफल घोषित करने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि भविष्य में इसे नजीर नहीं बनाया जायेगा।**
कार्य सूची–13	सुश्री शिवानी गांगुली बी0ए0 द्वितीय खण्ड राजकीय महिला महाविद्यालय, डी0एल0डब्ल्यू0, वाराणसी का द्वितीय वर्ष–2014 का परीक्षाफल घोषित करने एवं बी0ए0 प्रथम वर्ष–2013 के अनुत्तीर्ण मध्य एवं आधुनिक इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में स्पेशल बैक की सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार। (अग्रेतर उल्लेखनीय है कि सुश्री शिवानी गांगुली को बी0ए0 प्रथम वर्ष–2013 बैक परीक्षा में मध्य एवं आधुनिक विषय में कोलेशन त्रुटि के कारण 03 अंक अनुग्रहांक प्रदान करते हुए उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया था। जिसे बाद में संज्ञान में आने पर संशोधित करते हुए इन्हें बी0ए0 प्रथम खण्ड में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया था। किन्तु सुश्री गांगुली द्वारा अपने उत्तीर्ण अंक पत्र के आधार पर बी0ए0 द्वितीय खण्ड वर्ष–2014 की परीक्षा में सम्मिलित हो गई। किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा बी0ए0 प्रथम खण्ड में अनुत्तीर्ण होने के कारण बी0ए0 द्वितीय खण्ड का परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया है। सुश्री गांगुली द्वारा बी0ए0 प्रथम खण्ड के अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्र में स्पेशल बैक की सुविधा प्रदान करने की मांग की गई है।)
निर्णय :	**समिति ने सुश्री शिवानी गांगुली के मांग को अस्वीकार करते हुए इनके बी0ए0 द्वितीय खण्ड के अंक को संरक्षित रखते हुए बी0ए0 प्रथम खण्ड की सम्पूर्ण परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान किया।**
कार्य सूची–14	सुश्री कुसुम वर्मा एवं श्री परवेज अख्तर द्वारा एम0टी0ए0 द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर वर्ष–2011 का परीक्षाफल घोषित करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार। (अग्रेतर उल्लेखनीय है कि सुश्री कुसुम वर्मा एवं श्री परवेज अख्तर का कहना है कि वे द्वितीय सेमेस्टर की विभाग द्वारा आयोजित सत्रीय परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। जबकि विभाग द्वारा परीक्षा गोपनीय को प्रेषित अंकचिट में इन्हें अनुपस्थित दर्शाया गया है। जिस कारण से इन दोनों के द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षाफल अपूर्ण होने के कारण चतुर्थ सेमेस्टर (Final) का परीक्षाफल भी अवरूद्ध है। दिनांक 25–05–2015 को निदेशक, पर्यटन अध्ययन संस्थान द्वारा श्री परवेज अख्तर के सत्रीय परीक्षा का अंक उपलब्ध करा दिया गया है।)
निर्णय :	**समिति ने सम्यक विचारोपरान्त निदेशक, पर्यटन अध्ययन संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गए श्री परवेज अख्तर के सत्रीय परीक्षा के अंको के आधार पर परीक्षाफल घोषित करने तथा सुश्री कुसुम वर्मा की सत्रीय परीक्षा सम्पन्न कराकर परीक्षाफल घोषित करने का निर्णय लिया गया।**
कार्य सूची–15	सुश्री आर्या तिवारी एम0एस0सी0 अन्तिम वर्ष द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत भौतिक विज्ञान के द्वितीय एवं चतुर्थ प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिकाएं मांगे जाने एवं उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति न उपलब्ध करा पाने की स्थिति में राज्य सूचना आयोग में दी गई सूचना के आलोक में सुश्री आर्या के प्रार्थना पत्र पर विचार। (अग्रेतर उल्लेखनीय है कि सुश्री आर्या तिवारी द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपने द्वितीय एवं चतुर्थ प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति की मांग की गई थी। छायाप्रति प्राप्त न होने पर सुश्री तिवारी द्वारा मा0

	राज्य सूचना आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करा दी। विज्ञान विषय के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन मुख्य भवन में हुआ था। जहां छात्रसंघ चुनाव की मतगणना सम्पन्न कराने हेतु सभी उत्तर पुस्तिकाएं एक कमरे में बन्द कर दी गई थी। जो मतगणना विवाद के कारण बहुत दिनों तक बन्द पड़ी रही और फिर अगले वर्ष के मूल्यांकन समस्या को दृष्टिगत रखते हुए वे सभी उत्तर पुस्तिकाए Weed Out कर दी गई। जिस कारण से सुश्री आर्या को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। सूचना आयोग के समक्ष उक्त परिस्थितियों से अवगत कराते हुए यह सूचित कर दिया गया है कि उक्त प्रकरण परीक्षा समिति को सन्दर्भित है। परीक्षा समिति के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।)
निर्णय :	**समिति ने समस्त पहलुओं पर विचार करने के पश्चात सुश्री आर्या तिवारी को एम0एस0सी0 अन्तिम वर्ष भौतिक विज्ञान के द्वितीय एवं चतुर्थ प्रश्न पत्र में अंक सुधार की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया।**
कार्य सूची–16	विलम्ब से सम्बद्धता पत्र प्राप्त होने के परिणामस्वरूप स्नातकोत्तर भूगोल एवं गृह विज्ञान के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में छात्रों के सम्मिलित न हो पाने की स्थिति में आगामी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के साथ ही प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा सम्पन्न कराने के सम्बन्ध में प्रबन्धक, बाबा रामदल सूरजदेव स्मारक कालेज, रसड़ा, बलिया के पत्र पर विचार। (अग्रेतर उल्लेखनीय है कि प्रबन्धक, बाबा रामदल सूरजदेव स्मारक कालेज, रसड़ा, बलिया अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि महाविद्यालय को सत्र 2014–15 के लिए गृह विज्ञान एवं भूगोल में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए विलम्ब से सम्बद्धता पत्र प्राप्त होने के कारण उक्त विषय के छात्र प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा फार्म भरने से वंचित रह गए। जिसके कारण छात्रों में असंतोष व्याप्त है। प्रबन्धक ने आगामी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के साथ प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा सम्पन्न कराने का आग्रह किया है।)
निर्णय :	**कुलपति जी के आदेशानुसार उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही को समिति ने अनुमोदित किया।**
कार्य सूची–17	श्री राम जी सिंह यादव एम0ए0 अन्तिम वर्ष राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र परीक्षाफल घोषित करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार। (अग्रेतर उल्लेखनीय है कि श्री राम जी सिंह यादव द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कहना है कि वर्ष–2010 में एम0ए0 प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने के पश्चात वर्ष–2011 में एम0ए0 अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हआ किन्तु भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में पी0डी0 पद पर कार्यरत होने के फलस्वरूप अवकाश की समस्या के कारण मौखिक परीक्षा में सम्मिलित न हो सका। जिसके कारण मुझे अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। श्री यादव पुनः वर्ष–2014 एम0ए0 अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए किन्तु कुल 04 वर्ष में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण कर लेने के शर्त से अधिक समय व्यतीत होने के कारण श्री यादव का परीक्षाफल रोक दिया गया है।)
निर्णय :	**विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए समिति ने 02 वर्ष के अन्तराल एवं 04 वर्ष में स्नातकोत्तर पूर्ण कर लेने की शर्त में शिथिलता प्रदान करते हुए श्री राम जी सिंह यादव का परीक्षाफल घोषित करने का निर्णय लिया।**

कार्य सूची–18	सुश्री साहेला खातून बी0ए0 द्वितीय खण्ड संजय मेमोरियल महिला महाविद्यालय, केराकतपुर, वाराणसी के बी0ए0 द्वितीय खण्ड बैक पेपर के परीक्षाफल घोषित करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार। (अग्रेतर उल्लेखनीय है कि सुश्री साहेला खातून को वर्ष–2013 में बी0ए0 द्वितीय खण्ड के गृह विज्ञान विषय में बैक पेपर की सुविधा प्रदान की गई थी। किन्तु सुश्री खातून द्वारा वर्ष–2013 की परीक्षा में सम्मिलित न हो कर वर्ष–2014 की परीक्षा में सम्मिलित हुई जिसके कारण इनका परीक्षाफल अवरूद्ध है।)
निर्णय :	**समिति ने सम्यक विचारोपरान्त बैक परीक्षा में एक वर्ष पश्चात सम्मिलित होने हेतु फार्म अग्रसारित करने के कारण संजय मेमोरियल महिला महाविद्यालय, वाराणसी पर रूपये पाँच हजार का अर्थदण्ड लगाने तथा सुश्री साहेला खातून का बी0ए0 द्वितीय खण्ड की सम्पूर्ण परीक्षा पुनः कराये जाने का निर्णय लिया।**
कार्य सूची–19	सुश्री आरती कुमारी एम0एस0सी0 जीव विज्ञान वर्ष–2014 हरिश्चन्द्र पी0जी0 कालेज वाराणसी द्वारा जन्तु विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र में शून्य अंक प्रदान किए जाने के फलस्वरूप उक्त उत्तर पुस्तिका का पुनः परीक्षण कराये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार। (अग्रेतर उल्लेखनीय है कि सुश्री आरती कुमारी एम0एस0सी0 द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र में परीक्षक द्वारा प्रत्येक प्रश्नों में शून्य–शून्य अंक प्रदान किया गया है जिसके विरूद्ध सुश्री आरती द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपनी उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करते हुए उसका परीक्षण कराने का निवेदन किया है।)
निर्णय :	**समिति ने मा0 कुलपति जी द्वारा नियुक्त विषय विशेषज्ञ से उक्त उत्तर पुस्तिका का परीक्षण कराने का निर्णय लिया।**
कार्य सूची–20	सुश्री प्रियंका राय, एल0एल0बी0 चतुर्थ सेमेस्टर वर्ष–2012, एच0एस0पी0 विधि महाविद्यालय, चितबड़ागांव, बलिया वर्ष–2015 में बैंक पेपर की सुविधा प्रदान करने एवं आगामी पचवे एवं छठें सेमेस्टर की परीक्षा पूर्ण करने की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार। (अग्रेतर उल्लेखनीय है कि सुश्री प्रियंका राय, हरिशंकर प्रसाद विधि महाविद्यालय, बलिया को वर्ष–2012 में चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र में बैक पेपर की सुविधा प्रदान की गई थी। किन्तु सुश्री राय बैक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुई।)
निर्णय :	**विचार–विमर्श के दौरान परीक्षा समिति के सदस्य एवं संकायाध्यक्ष, विधि संकाय द्वारा यह अवगत कराया गया कि एल0एल0बी0 सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के अन्तर्गत किसी छात्र को सम्पूर्ण छः सेमेस्टर की परीक्षा (एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम) छः वर्ष में पूर्ण कर लेने का प्राविधान है। जिस पर समिति ने सुश्री प्रियंका राय को बैक परीक्षा में आगामी चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा के साथ सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान किया।**
कार्य सूची–21	विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, मौखिकी / प्रायोगिक परीक्षा, यात्रा–भत्ता एवं दैनिक–भत्ता में स्ववित्तपोषित शिक्षकों के साथ हो रहे विषंगतियों एवं अनियमितता सम्बन्धी डॉ0 डी0के0 त्रिपाठी व अन्य संयुक्त हस्ताक्षरित स्ववित्तपोषित शिक्षकगण के प्रार्थना पत्र पर विचार।

निर्णय :	**समिति ने स्ववित्तपोषित शिक्षकों के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र पर विचारोपरान्त अस्वीकार्य करते हुए परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 02–02–2013 में स्वीकृत उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन नियमावली के अनुरूप कार्यवाही करने का निर्णय लिया।**
कार्य सूची–22	प्राचार्य, लोकबन्धु राजनारायण विधि महाविद्यालय, गंगापुर, वाराणसी के विधि छठां सेमेस्टर के अपूर्ण परीक्षाफल घोषित करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार। (अग्रेतर उल्लेखनीय है कि लोकबन्धु राजनारायण विधि महाविद्यालय, गंगापुर, वाराणसी के एल0एल0बी0 के विभिन्न सेमेस्टरों के परीक्षाफल अपूर्ण रहने के कारण छठें सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित नहीं किया जा सका है। समस्त छात्रों का विवरण अधोलिखित है :– (क). <u>सबरे आलम, अनुक्रमांक–1313962 (KA2K12/3954)</u> उक्त छात्र एल0एल0बी0 प्रथम सेमेस्टर–2012 का छात्र था। उक्त सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र में बैक की परीक्षा–2013 में दिया गया जिसमें 42 अंक प्राप्त किया। किन्तु टेबुलेशन रजिस्टर में कोलेटररों द्वारा उक्त के स्थान पर 48 अंक उल्लिखित करते हुए छात्र को उत्तीर्ण का अंक पत्र प्रदान कर दिया गया है। पुनरीक्षण कार्य के समय 42 प्राप्त अंक संशोधित करते हुए उसके पूर्व के उत्तीर्णांक योग 225 के स्थान पर 223 अंक संशोधित होने की दशा में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है। प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होने के कारण छँठे सेमेस्टर का परीक्षाफल अपूर्ण है। (ख). <u>मानवेन्द्र प्रताप, अनुक्रमांक–13110068 (KA2K11/100298)</u> उक्त छात्र वर्ष–2012 भूतपूर्व के रूप में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित था। प्रथम सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र में बैक की परीक्षा (2013) में सम्मिलित हुआ जिसमें उसे 50 अंक प्राप्त हुआ। किन्तु उक्त के स्थान पर टेबुलेशन रजिस्टर पर कोलेटर द्वारा 58 अंक उल्लिखित किया गया। जिसके आधार पर छात्र को उत्तीर्ण घोषित कर अंक पत्र निर्गत किया गया। तत्पश्चात् पुनरीक्षण कार्य के समय संज्ञान में आया कि छात्र को मौलिक 50 अंक प्राप्त है जिसे संशोधित किया गया है। उत्तीर्णांक योग 225 के अन्तर्गत 222 प्राप्त होने के कारण बैक अनुत्तीर्ण घोषित है। प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होने के कारण छँठे सेमेस्टर का परीक्षाफल अपूर्ण है। (ग). <u>नौशाद अंसारी, अनुक्रमांक–1313934 (KA2K12/3928)</u> उक्त छात्र एल0एल0बी0 प्रथम सेमेस्टर वर्ष–2012 में प्रथम प्रश्न पत्र में बैक की परीक्षा में सम्मिलित होकर 49 अंक प्राप्त किया। किन्तु कोलेटरों द्वारा उक्त छात्र के द्वितीय प्रश्न पत्र में उक्त प्राप्त अंक को अंकित करते हुए परीक्षाफल घोषित किया गया था। पुनरीक्षण कार्य के समय बैक का प्राप्तांक–49 प्रथम प्रश्न पत्र में अंकित किया गया है। किन्तु उत्तीर्णांक योग 225 सम्पूर्ण अंक प्राप्त न कर पाने के कारण (223 प्राप्त होने की दशा में) प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है। प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होने के कारण छँठे सेमेस्टर का परीक्षाफल अपूर्ण है। (घ). <u>संजय कुमार यादव, अनुक्रमांक–13110123 (KA2K11/100353)</u> उक्त छात्र एल0एल0बी0 द्वितीय सेमेस्टर–2011 में सम्पूर्ण अंक 176 प्राप्त कर प्रथम प्रश्न पत्र में अनुपस्थित है। सूच्य है कि 40 प्रतिशत अंक सम्पूर्ण योग के अनुसार 200 होने की दशा में बैक हेतु नियमानुसार अनुमन्य है। टेबुलेशन चार्ट में अनुपस्थित के स्थान पर 60 अंक उल्लिखित है परन्तु कोलेटर का हस्ताक्षर नहीं है, और न ही अंक चिट में 60 अंक अंकित है। द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होने के कारण छँठे सेमेस्टर का परीक्षाफल अपूर्ण है।

	(ड.). <u>राम चन्द्र प्रसाद, अनुक्रमांक–13110105 (KA2K11/100335)</u> उक्त छात्र एल0एल0बी0 द्वितीय सेमेस्टर–2011 का छात्र था। वर्ष–2012 में द्वितीय प्रश्न पत्र के बैक परीक्षा में सम्मिलित हुआ जिसमें 44 अंक प्राप्त हुआ। किन्तु उक्त के स्थान पर टेबुलेशन रजिस्टर में कोलेटर द्वारा 48 अंक उल्लिखित किया गया है। जिसके आधार पर छात्र को उत्तीर्ण घोषित कर अंक पत्र निर्गत कर दिया गया। तदोपरान्त पुनरीक्षण कार्य के समय संज्ञान में आने पर छात्र को 44 अंक प्रदान करते हुए अंक पत्र संशोधित कर लिया गया जिसके फलस्वरूप उसके पूर्व के उत्तीर्णांक योग–225 से घटकर 223 होने के कारण अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होने के कारण छँठे सेमेस्टर का परीक्षाफल अपूर्ण है। (च). <u>चंचल, अनुक्रमांक–13110055 (KA2K11/100285)</u> उक्त छात्र एल0एल0 बी0 तृतीय सेमेस्टर–2012 में छँठे प्रश्न पत्र में बैक होने पर वर्ष–2013 में बैक परीक्षा में सम्मिलित हुई जिसमें 40 अंक प्राप्त है। उक्त के स्थान पर 48 अंक कोलेटर द्वारा उल्लिखित किया गया जिसके आधार पर उत्तीर्ण का अंक पत्र छात्रा को प्राप्त हो गया। उक्त के पश्चात पुनरीक्षण कार्य के समय संज्ञान में आया कि छात्र द्वारा 40 अंक प्राप्त किया गया है। जिसे संशोधित करते हुए उत्तीर्णांक योग 270 से घटाकर 268 कर दिया गया जिसके फलस्वरूप न्यूनतम 45 प्रतिशत से कम होने की दशा में परीक्षाफल अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है। तृतीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होने के कारण छँठे सेमेस्टर का परीक्षाफल अपूर्ण है।)
निर्णय :	**समिति ने अलग–अलग समस्त प्रकरणों पर सम्यक विचार करने के पश्चात पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए अधोलिखित निर्णय लिया :–** **(क). समिति ने श्री सबरे आलम को एल0एल0बी0 प्रथम सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र में पुनः परीक्षा देने की अनुमति प्रदान किया।** **(ख). समिति ने श्री मानवेन्द्र कुमार को एल0एल0बी0 प्रथम सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र में पुनः परीक्षा देने की अनुमति प्रदान किया।** **(ग). समिति ने श्री नौशाद अंसारी को एल0एल0बी0 प्रथम सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र में पुनः परीक्षा देने की अनुमति प्रदान किया।** **(घ). समिति ने श्री संजय कुमार यादव को एल0एल0बी0 द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र में पुनः परीक्षा देने की अनुमति प्रदान किया।** **(ड.). समिति ने श्री राम चन्द्र प्रसाद को एल0एल0बी0 द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र में पुनः परीक्षा देने की अनुमति प्रदान किया।** **(च). समिति ने चंचल को एल0एल0बी0 तृतीय सेमेस्टर के छठें प्रश्न पत्र में पुनः परीक्षा देने की अनुमति प्रदान किया।**
कार्य सूची–23	श्री हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी के बी0बी0ए0 द्वितीय सेमेस्टर–2011 के छात्र अमन सिन्हा पुत्र श्री आनन्द स्वरूप सिन्हा अनुक्रमांक–10660004 द्वारा बी0बी0ए0 के बैक का परीक्षाफल घोषित करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार। (अग्रेतर उल्लेखनीय है कि श्री अमन सिन्हा बी0बी0ए0 द्वितीय सेमेस्टर–2011 में प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र में अनुपस्थित होने की दशा में अनुत्तीर्ण घोषित है। उक्त के बावजूद भी महाविद्यालय द्वारा छात्र को दोनों प्रश्न पत्रों में बैक की परीक्षा में सम्मिलित कर लिया गया, जिसके सापेक्ष छात्र को प्रथम प्रश्न पत्र में 39 एवं द्वितीय

	प्रश्न पत्र में 40 अंक प्राप्त हुए। जिसका महायोग 296 होने के फलस्वरूप त्रुटिवश उत्तीर्ण घोषित करते हुए छात्र को अंक पत्र प्रदान कर दिया गया है। जबकि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 24—11—2011 बैक परीक्षा नियमावली के अनुसार बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में एक प्रश्न पत्र में बैक परीक्षा का प्राविधान है। **(ख).** पुनरीक्षण कार्य के दौरान संज्ञान आने पर कि अमन सिन्हा द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से दो प्रश्न पत्रों में बैक पेपर की सुविधा प्राप्त कर ली गई है। जिसे संशोधित करते हुए बी0बी0ए0 द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होने के कारण छँठे सेमेस्टर का परीक्षाफल अपूर्ण है। **(ग).** छात्र अपने प्रार्थना पत्र के साथ पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम के अध्यादेश संलग्न कर यह दावा किया है कि मेरे प्रवेश के समय पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम अध्यादेश प्रभावी था। जिसके कारण दो प्रश्न पत्रों में बैक की सुविधा प्रदान किया गया जिसके आधार पर मैं बी0बी0ए0 द्वितीय सेमेस्टर में दो प्रश्न पत्रों में बैक परीक्षा में सम्मिलित हुआ।)
निर्णय :	**समिति ने विश्वविद्यालय की बैक नियमावली के विरूद्ध दो प्रश्न पत्रों की बैक परीक्षा में छात्र द्वारा सम्मिलित हो जाने को महाविद्यालय की घोर लापरवाही मानते हुए महाविद्यालय पर रूपये पाँच हजार का दण्ड लगाने एवं भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो इसलिए प्राचार्य को कड़ी चेतावनी देने के साथ ही पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु उक्त छात्र को द्वितीय सेमेस्टर की सम्पूर्ण परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने हेतु एक अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया।**
कार्य सूची—24	प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र का पत्र सुश्री कुसुमलता बी0ए0 द्वितीय वर्ष एवं सुश्री संगीता, सुश्री पूनम मिश्रा एवं श्री संतोष कुमार भारती बी0ए0 तृतीय वर्ष के बैक परीक्षाफल घोषित करने पर विचार। (अग्रेतर उल्लेखनीय है कि सुश्री कुसुमलता बी0ए0 द्वितीय खण्ड वर्ष—2011 में अंग्रेजी विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के बैक पेपर में अनुत्तीर्ण हो गई थी जिसके फलस्वरूप उसे अगले वर्ष भूतपूर्व छात्रा के रूप में बी0ए0 द्वितीय खण्ड के सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित होना चाहिए था किन्तु बिना किसी सक्षम आदेश के एक वर्ष के अन्तराल के पश्चात वर्ष—2013 की वार्षिक परीक्षा के साथ बैक पेपर की परीक्षा में सम्मिलित हुई जिसके कारण इनका परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया। **(ख.)** सुश्री संगीता बी0ए0 तृतीय खण्ड अर्थशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र, सुश्री पूनम मिश्रा एवं श्री संतोष कुमार भारती बी0ए0 तृतीय खण्ड हिन्दी प्रथम प्रश्न पत्र में वर्ष—2012 के बैक पेपर की परीक्षा में सम्मिलित न होकर बिना किसी आदेश के वर्ष—2013 की वार्षिक परीक्षा के साथ बैक पेपर में सम्मिलित हुए।)
निर्णय :	**(क). बिना किसी सक्षम आदेश के महाविद्यालय द्वारा सुश्री कुसुमलता को पुनः बैक पेपर की परीक्षा में सम्मिलित कर लेने हेतु महाविद्यालय की मनमानापन एवं स्वेच्छाचारिता मानते हुए महाविद्यालय पर रूपये पाँच हजार का आर्थिक दण्ड लगाने एवं छात्रा को बी0ए0 द्वितीय खण्ड की सम्पूर्ण परीक्षा पुनः कराये जाने का निर्णय लिया। साथ ही समिति ने विश्वविद्यालय को आनलाइन फार्म भरने के साफ्टवेयर इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का सुझाव भी दिया कि भविष्य में पुनः कोई भी परीक्षार्थी इस प्रकार का लाभ न उठा सके।**

	(ख). समिति ने सुश्री संगीता, सुश्री पूनम मिश्रा एवं श्री संतोष कुमार भारती बी0ए0 तृतीय खण्ड की बैक परीक्षा में बिना किसी सक्षम आदेश के एक वर्ष के अन्तराल पर सम्मिलित हो जाने को मनमानापन एवं स्वेच्छाचारिता मानते हुए महाविद्यालय पर रूपये पाँच हजार का आर्थिक दण्ड लगाने तथा उक्त छात्रों को बी0ए0 तृतीय खण्ड की सम्पूर्ण परीक्षा पुनः कराये जाने का निर्णय लिया।
कार्य सूची–25	बी0सी0ए0 तृतीय सेमस्टर सत्र 2013–14 जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगतपुर, वाराणसी के छात्रों के बी0सी0ए0 री–बैक का परीक्षा फल घोषित करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार। (अग्रेतर उल्लेखनीय है कि जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगतपुर, वाराणसी के बी0सी0ए0 तृतीय सेमेस्टर सत्र 2013–14 के कुछ छात्र वर्ष 2014 की सेमेस्टर परीक्षा के साथ प्रथम प्रश्नपत्र की बैक परीक्षा में सम्मिलित होकर अनुत्तीर्ण हो गये। बैक पेपर में अनुत्तीर्ण होने के बाद आगामी सेमेस्टर में इन्हें सम्बन्धित सेमेस्टर की सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित होना चाहिए था किन्तु ये सभी छात्र पुनः मात्र प्रथम प्रश्नपत्र की परीक्षा में सम्मिलित हुए जिसके कारण इनका परीक्षा फल विश्वविद्यालय द्वारा घोषित नहीं किया गया है।)
निर्णय :	**समिति ने सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम पाँच वर्ष में पूर्ण कर लेने के प्राविधान के अन्तर्गत पुनः बैक देने की व्यवस्था को स्वीकार करते हुए उक्त सभी छात्रों का परीक्षाफल इस शर्त के साथ घोषित करने का निर्णय लिया कि इसे भविष्य में नजीर नहीं बनाया जायेगा।**
कार्य सूची–26	प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा का अंक चिट कुछ महाविद्यालयों द्वारा देर से उपलब्ध कराये जाने पर परीक्षा फल में विलम्ब होने पर विचार।
निर्णय :	**समिति ने प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा सम्पन्न होने के तीन दिन के अन्दर अवश्य रूप से विश्वविद्यालय में अंकपर्ण उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में सात दिन से ज्यादा व्यतीत होने पर प्रतिदिन रूपये एक हजार के हिसाब से अर्थदण्ड लगाने का निर्णय लिया गया।**
अध्यक्ष की अनुमति से –	
प्रस्ताव–27	स्नातक/स्नातकोत्तर की प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा के सत्कार व्यय की वृद्धि पर विचार।
निर्णय :	**परीक्षा समिति के सदस्य प्रो0 के0एस0 जायसवाल के प्रस्ताव पर समिति ने सत्कार व्यय में वृद्धि करते हुए रूपये पाँच सौ किए जाने एवं आगामी वित्त समिति में इसका अनुमोदन प्राप्त करने का निर्णय लिया।**
प्रस्ताव–28	केन्द्र निर्धारण हेतु समिति गठित करने पर विचार।
निर्णय :	**आगामी सेमेस्टर/बी0एड0 परीक्षा में केन्द्र निर्धारण हेतु अधोलिखित सदस्यों की उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया–** **1. प्रो0 एस0एन0 चतुर्वेदी, संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय – अध्यक्ष** **2. डॉ0 अशोक कुमार पाण्डेय, प्राचार्य, श्री सुदृष्टि बाबा स्ना0 महा0, बलिया – सदस्य** **3. डॉ0 सुरेन्द्र नाथ सिंह, अधीक्षक, परीक्षा सामान्य – सचिव**

	समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त उपसमिति केन्द्र निर्धारण नियमावली के आलोक में केन्द्र का निर्धारण कर मा0 कुलपति जी को उपलब्ध करायेंगे जो उनके अनुमोदन के पश्चात ही निर्गत किया जायेगा।
प्रस्ताव–29	वर्ष–2014 में सामूहिक नकल के उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करने वाले परीक्षकों को पारिश्रमिक दिए जाने पर विचार।
निर्णय :	**समिति ने उक्त उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करने वाले परीक्षकों को नियमानुसार प्रति उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए निर्धारित दर के अनुसार भुगतान करने तथायात्रा भत्ता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया।**
निर्णय 30 :–	**परीक्षा नियंत्रक द्वारा समय से मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया जिस पर समिति ने सर्वसम्मति से मूल्यांकन समन्वयक और उनकी टीम के प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया।** **(ख). समिति ने यह भी निर्णय लिया कि मूल्यांकन प्रक्रिया की एक नियमावली का निरूपण किया जाय। भविष्य में उप समन्वयक मात्र अनुभवी स्थायी अध्यापकों को ही बनाया जाय।** **(ग). समिति ने यह भी निर्णय लिया कि मूल्यांकन समन्वयकों/उप समन्वयकों को मात्र एक पारिश्रमिक देय होगी। यदि उनके द्वारा इसी दौरान उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी किया गया हो तो उनको मूल्यांकन के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि उनके पारिश्रमिक में से कम कर ली जायेगी।** **(घ). समिति आगे से मूल्यांकन व्यवस्था में लगने वाले आवश्यक संशाधन पंखा/कूलर इत्यादि किराए पर लिए जाने का निर्णय लिया।**

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त हुई।

ह0
कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक

ह0
कुलपति

.पत्रांक : प0गो0/ 11237 /परीक्षा समिति/2015 तद् दिनांक : 13 जून, 2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. माननीय कुलपति जी।
2. परीक्षा समिति के सदस्यगण।
3. वित्त अधिकारी।
4. कुलसचिव।
5. उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य/अनुचित साधन प्रकोष्ठ।
6. सहायक कुलसचिव– सम्बद्धता विभाग।
7. अधीक्षक–परीक्षा सामान्य/परीक्षा गोपनीय/समिति अनुभाग।
8. प्रभारी, संगणक केन्द्र को इस आशय से कि विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपरोक्त कार्यवृत्त को सम्बन्धित व्यक्ति एवं जन साधारण के सूचनार्थ अपलोड कर दें।

कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक